संख्या– 270 VI/2006–5(पर्य0)97

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2007

विषयः– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के पत्र संख्या–508/2–7–364/2006–07 दिनांक 16 मार्च, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं हेतु निम्न विवरणानुसार केन्द्राश रू0 159.00 लाख तथा रू0 61.26 लाख का राज्यांश अर्थात कुल रू0 220.26 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0 सं0	जनपद/योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/राजकोष में जमा की गई धनराशि(केन्द्रांश)	राज्यांश	वित्तीय वर्ष 2006–07 की मांग
1	2	3	4	5
1	पर्यटन ग्राम आदि कैलाश जनपद नैनीताल	40.00	–	40.00
2	पर्यटन ग्राम नानकत्ता जनपद उधमसिंहनगर	39.00	–	39.00
3	पर्यटन ग्राम पदमपुरी जनपद नैनीताल	40.00	–	40.00
4	पर्यटन ग्राम त्रिजुगीनारायण जनपद रूद्रप्रयाग	40.00	–	40.00
5	मार्गीय सुविधा, कद्दूखाल जनपद टिहरी	–	11.81	11.81
6	पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड में इनफोरमेशन टैक्नोलॉजी योजना	–	49.45	49.45
	योग :–	**159.00**	**61.26**	**220.26**

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भी यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद अवमुक्त की जायेगी।

12– कार्य प्रारम्भ करते समय सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का साइनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। साईन बोर्ड पर कार्य का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायेगें।

13– सम्बन्धित निर्माण इकाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण किये जाने हेतु एक पट चार्ट तैयार कर पर्यटन निदेशालय/शासन को उपलब्ध करायेगा एवं कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने हेतु वचनबद्वता भी इंगित करेगा।

14– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

15– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–2254/XXVII(2)/2007, दिनांक 22 मार्च,2007 में प्राप्त उनकी सहमति के अधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 270 –VI /2006–5(पर्य0)97 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, देहरादून, नैनीताल उधमसिंह नगर, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।
5– वित्त अनुभाग–2,
6– श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

23/03/2007

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।